ईवी पर छूट के लिए पोर्टल शुरू हुआ

सुविधा

- 14 अक्तूबर 2022 के बाद ईवी खरीदने वाले पात्र
- सब्सिडी के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी में 14 अक्तूबर के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) खरीदने वाले ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ देने के लिए तैयार सब्सिडी (upevsubsidy.in) बुधवार को लाइव कर दिया गया। जिन ग्राहकों ने 14 अक्तूबर 2022 के बाद ईवी खरीदी है, वे सब्सिडी के लिए इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद चार स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही सब्सिडी की राशि ग्राहक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

अपर आयुक्त परिवहन राजीव श्रीवास्तव के अनुसार आवेदन के बाद चार स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया होगी। पहला सत्यापन डीलर के स्तर पर फिर रजिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। अंत में टीआई सत्यापन करेंगे। ईवी पर सब्सिडी व्यक्तिगत लाभार्थियों (खरीदार) को देय होगी, जैसे कि एक व्यक्ति को वाहन खंडों में किसी भी एकल वाहन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ उठाने की अनुमति दी गई है।

इन वाहनों को मिलेगी इतनी सब्सिडी

पहले दो लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को 5000 रुपये प्रति वाहन सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह एक्स फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। पहले खरीदे गए 25 हजार फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को एक लाख रुपये प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी प्राप्त होगी। शुरुआती 400 ई बसों को 20 लाख प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यह एक्स फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत तक हो सकता है। पहले 1000 ई-गुड्स कैरियर की खरीद पर एक लाख रुपये प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी प्राप्त होगी।